न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सिरोही
(बइजलास गितेश श्री मालवीया, आर.ए.एस.)

प्रार्थी

विकास अधिकारी, पंचायत समिति, पिण्डवाडा, जिला– सिरोही

बनाम

अप्रार्थी

1. सरपंच, ग्राम पंचायत, जनापुर
2. श्री राहुल कुमार पुत्र श्री जयशंकर रावल, निवासी–जनापुर, तहसील–पिण्डवाडा, जिला सिरोही

पंचायत निगरानी संख्याः 12/2020

"निगरानी आवेदन अर्न्तगत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994"

उपस्थितिः

1. **श्री नटवर लाल, सहायक विकास अधिकारी, कलक्टर कार्यालय, सिरोही**
2. **अधिवक्ता श्री राजेन्द्र सिंह आढा, अप्रार्थी संख्या– 2 की ओर से**

–: निर्णय :– **दिनांक 22 जनवरी, 2021**

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। प्रार्थी विकास अधिकारी, पंचायत समिति, पिण्डवाडा द्वारा यह निगरानी आवेदन ग्राम पंचायत, जनापुर द्वारा अप्रार्थी संख्या–2 के पक्ष में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 158 के तहत रियायती दर पर भूखण्ड़ आवंटन करने के संबंध में पारित प्रस्ताव संख्या 4 दिनांक 06.10.2014 एवं इस प्रस्ताव के अनुसरण में जारी पट्‌टा संख्या 24912 दिनांक 07.10.2014 को निरस्त कराने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

(2) प्रार्थी विकास अधिकारी, पंचायत समिति, पिण्ड़वाडा द्वारा प्रस्तुत यह निगरानी आवेदन जिला कलक्टर न्यायालय, सिरोही के क्षेत्राधिकार का होने से जिला कलक्टर न्यायालय, सिरोही में दर्ज हुआ। तत्पश्चात् जिला कलक्टर, सिरोही के पत्र क्रमांक:कोर्ट/2020/30 दिनांक 30.1.2020 से यह निगरानी आवेदन इस न्यायालय को सुनवाई हेतु स्थानान्तरित किये जाने पर इस न्यायालय में दर्ज किया गया। प्रकरण में अप्रार्थी संख्या–1 को नोटिस की तामिल होने के बावजूद भी उपस्थित नही हुये। जबकि अप्रार्थी संख्या– 2 की ओर से निगरानी प्रकरण की सुनवाई के दौरान अधिवक्ता श्री राजेन्द्र सिंह आढा उपस्थित हुये एवं लिखित जवाब प्रस्तुत किया।

(3) प्रकरण में दिनांक 08.1.2021 को बहस सुनी गई। प्रार्थी की ओर से बहस के दौरान श्री नटवर लाल, सहायक विकास अधिकारी, कलक्टर कार्यालय, सिरोही उपस्थित हुये एवं अप्रार्थी संख्या–2 के अधिवक्ता उपस्थित हुये। बहस के दौरान श्री नटवर लाल, सहायक विकास अधिकारी, कलक्टर कार्यालय, सिरोही ने निगरानी आवेदन में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि ग्राम पंचायत, जनापुर द्वारा राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 158 के तहत अप्रार्थी संख्या–2 को रियायती दर पर भूखण्ड़ का आवंटन किया गया है, लेकिन अप्रार्थी संख्या–2 रियायती दर पर भूखण्ड़ प्राप्त करने की पात्रता नही रखता है। अप्रार्थी संख्या–2 [illegible] की शिकायत की जांच उपखण्ड अधिकारी, पिण्डवाडा द्वारा की [illegible] उपखण्ड अधिकारी, पिण्डवाडा के पत्र क्रमांक:पंचायत/जांच/2015/[illegible] दिनांक [illegible].2015 के द्वारा प्रेषित जांच रिपोर्ट के आधार पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, सिरोही ने पत्र क्रमांक:पंचायत/जांच/2015/1057–58 दिनांक 11.1.2016 से [illegible]ीय आयुक्त महोदय, जोधपुर को जांच प्रतिवेदन प्र[illegible] किया, जिसके अनुसार [illegible] से पूर्व मौके

......लगातार पेज दो

Signature Not Verified
Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2021.03.03 10:53:44 IST
Reason: SelfAttested

सिरोही (राज.)

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

पर अप्रार्थी संख्या–2 का अतिक्रमण पाया गया। जिला कलक्टर, सिरोही के आदेश क्रमांकःप.12(3)(141)राज/2013/22–27 दिनांक 03.1.2014 के द्वारा ग्राम पंचायत, जनापुर को ग्राम जनापुर के खसरा संख्या 5 में रकबा 4.13 बीघा व खसरा संख्या 668 में रकबा 5.18 बीघा कुल किता 2 रकबा 10.11 बीघा भूमि का आबादी विस्तार हेतु सशर्त आवंटन किया गया था। जिला कलक्टर महोदय, सिरोही के आवंटन आदेश की शर्त संख्या–1 के अनुसार अतिक्रमण शुदा कब्जे की भूमि को बाजार दर पर राशि जमा कराने पर ही आबादी के लिये ग्राम पंचायत विक्रय कर पट्टा जारी करेगी, अन्यथा अतिक्रमियों को बेदखल किया जायेगा। ग्राम पंचायत, जनापुर ने जिला कलक्टर, सिरोही के आवंटन आदेश की शर्त संख्या–1 का पालन नही किया है। अप्रार्थी संख्या–2 साधन सम्पन्न व्यक्ति है एवं अप्रार्थी संख्या–2 का आवास गृह पूर्व से ही ग्राम जनापुर में है, इस कारण से अप्रार्थी संख्या–2 राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 158 के तहत रियायतीं दर पर भूखण्ड़ प्राप्त करने की पात्रता नही रखता है। जिला कलक्टर, सिरोही के आवंटन आदेश की शर्त संख्या–6 के अनुसार पंचायत द्वारा आबादी भूमि के भूखण्ड़ों का नक्शा तैयार कर ग्राम सभा से अनुमोदन कराना था। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 8ख के प्रावधान अनुसार ग्रामसभा में गणपूर्ति सदस्यों की कुल संख्या (रजिस्ट्रीकृत मतदाता) के दशांश की होगी, जिसमें अनुसूचित जाति/जनजाति/पिछडा वर्ग के मतदाताओं की जन संख्या के अनुपात में उपस्थिति आवश्यक व धारा 8क(7) के अनुसार पंचायत समिति का विकास अधिकारी या उनके द्वारा नामनिर्देशित व्यक्ति का ग्राम सभा में उपस्थित होना आवश्यक है, लेकिन ग्राम पंचायत, जनापुर की विशेष ग्राम सभा दिनांक 13.2.2014 में कोरम पूर्ण नही था। राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 142(1) के तहत ग्राम पंचायत ने ग्राम विकास योजनाओं का अनुमोदन नगर नियोजक के अधिकारी से स्वीकृत नही कराया है, जिससे ग्राम विकास योजना प्लान विधि सम्मत नही है। उपखण्ड़ अधिकारी, पिण्डवाडा के जांच प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि अपात्र व्यक्तियों एवं अतिक्रमियों को ग्राम पंचायत ने रियायती दर पर भूखण्ड़ का आवंटन कर अनुचित लाभ पँहुचाया है। इस मामलें में सरपंच, सचिव व हल्का पटवारी द्वारा गलत रिपोर्ट प्रस्तुत करने से व नियम विरुद्ध पट्टे जारी करने के कारण संभागीय आयुक्त, जोधपुर ने तत्कालीन सरपंच को 5 वर्ष की अवधि के लिये चुनाव लडने के लिये अपात्र घोषित किया है, साथ ही हल्का पटवारी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही करने हेतु जिला कलक्टर, सिरोही को व सचिव (ग्राम विकास अधिकारी) के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही करने हेतु मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, सिरोही को निर्देश दिये है तथा बाजार दर से राशि जमा करवाने की स्थिति में पट्टा भूमि को नियमित करने एवं राशि जमा नही होने की स्थिति में सक्षम न्यायालय में निगरानी आवेदन प्रस्तुत करने हेतु आदेश दिये है। ग्राम पंचायत, जनापुर द्वारा अप्रार्थी संख्या–2 को बाजार दर अनुसार राशि जमा कराने हेतु नोटिस दिये गये, लेकिन अप्रार्थी संख्या–2 ने ग्राम पंचायत में बाजार दर अनुसार राशि जमा नही करवाई है। ग्राम पंचायत, जनापुर द्वारा ग्राम पंचायत की बैठक दिनांक 05.10.2014 को की गई, लेकिन उस दिन रविवार होने के कारण तारीख बदल कर दिनांक 06.10.2014 की गई है एवं इस बैठक में पारित प्रस्ताव संख्या–2 भूमि विक्रय के संबंध में नही होकर आपत्ति नोटिस जारी करने के संबंध में है। ग्राम पंचायत, जनापुर ने अपात्र व्यक्ति को रियायती दर पर भूखण्ड़ का आवंटन कर ग्राम पंचायत, जनापुर [illegible] की क्षति पँहुचाई है। अतः प्रार्थी का निगरानी आवेदन स्वीकार किया जाकर [illegible] संख्या–2 के पक्ष में पारित प्रस्ताव व पट्टे को निरस्त किया जावे। जबकि [illegible] संख्या–2 के अधिवक्ता ने बहस के दौरान जवाब में [illegible] आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि ग्राम पंचायत, जनापुर ने [illegible] राज नियमों में प्रदत्त प्रावधानों की पूर्ण

......पेज तीन पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2021.03.03 10:53:44 IST
Reason: SelfAttested

पालना करते हुए एवं अप्रार्थी संख्या–2 के पात्रता की जांच की जाकर रियायती दर पर भूखण्ड़ प्राप्त करने का का पात्र व्यक्ति होने से अप्रार्थी संख्या–2 को छोटे से भूखण्ड़ का रियायती दर पर आवंटन करते हुए पट्टा जारी किया है। राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 158(1) के तहत 300 वर्गगज अर्थात् 2700 वर्गफीट तक की आबादी भूमि इस नियम में वर्णित श्रेणी के पात्र व्यक्तियों को रियायती दर और निःशुल्क आवंटन करने का प्रावधान है एवं उसी अनुसार ग्राम पंचायत ने पात्रता की जांच कर रियायती दर पर भूखण्ड़ का आवंटन कर पट्टा जारी किया है। पट्टा जारी करने से पूर्व मौके पर अप्रार्थी संख्या–2 का कोई अतिक्रमण नही था, बल्कि अप्रार्थी संख्या–2 को रियायती दर पर छोटे से भूखण्ड़ का आवंटन करने के बाद मौके पर कब्जा सुपर्द किया गया व तब से अप्रार्थी संख्या–2 का मौके पर कब्जा धारण किये हुये है तथा मौके पर भूखण्ड का उपयोग व उपभोग बतौर स्वामी करता आ रहा है। ग्राम पंचायत, जनापुर ने अप्रार्थी संख्या–2 को बाजार दर अनुसार राशि जमा कराने का जो नोटिस दिया है वह विधि विरुद्ध है एवं इस प्रकार से वसूली करने का कोई हक अधिकार ग्राम पंचायत को नही है। यह कि शिकायतकर्ता भेराराम पुत्र अमराजी, जाति– रावल, निवासी– जनापुर ने आबादी हेतु आवंटित भूमि में से 12000 वर्गफीट भूमि पर अतिक्रमण कर कब्जा किया हुआ था, जिसे हटाने हेतु ग्राम पंचायत, जनापुर ने कार्यवाही की तो उसमें अवरोध पैदा करने हेतु झूठी शिकायत की जिसकी जांच उपखण्ड़ अधिकारी, पिण्डवाडा की गई। उपखण्ड़ अधिकारी, पिण्डवाडा की जांच रिपोर्ट के अनुसार खसरा संख्या 668 की भूमि में परिवादी शिकायतकर्ता भेराराम सहित 7 व्यक्तियों का अतिक्रमण था, लेकिन किन–किन व्यक्ति का अतिक्रमण था ये जांच रिपोर्ट में अंकित नही किया है, इस प्रकार इस जांच रिपोर्ट से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत को आबादी विस्तार हेतु आवंटित खसरा संख्या 668 की भूमि पर अप्रार्थी संख्या–2 का कब्जा या अतिक्रमण पट्टा जारी करने से पूर्व नही था। उसके बावजूद भी उपखण्ड़ अधिकारी, पिण्डवाडा की जांच रिपोर्ट को आधार बनाकर गलत तथ्यों के आधार पर यह निगरानी आवेदन प्रस्तुत किया है। निगरानी आवेदन के समर्थन में प्रार्थी विकास अधिकारी, पंचायत समिति, पिण्डवाडा ने स्वयं का शपथ पत्र पेश नही किया है एवं निगरानी आवेदन भी निगरानी प्रारुप में प्रस्तुत नही कर एक विभागीय/कार्यालय पत्र के रुप में प्रस्तुत किया है, जो कानूनन परिपोषणीय नही है। जिला कलक्टर, सिरोही द्वारा ग्राम पंचायत, जनापुर को ग्राम जनापुर के खसरा संख्या 5 में रकबा 4 बीघा 13 बिस्वा व खसरा संख्या 668 में रकबा 5 बीघा 18 बिस्वा कुल रकबा 10 बीघा 11 बिस्वा भूमि का आबादी विस्तार हेतु आदेश क्रमांक प.12(3)(141)राज/2013/22–27 दिनांक 03.1.2014 के द्वारा आवंटन किया गया था, इस आवंटन आदेश की शर्त संख्या–1 के अनुसार अतिक्रमण शुदा कब्जे की भूमि को बाजार दर पर राशि जमा कराने पर ही आबादी के लिये ग्राम पंचायत विक्रय कर पट्टा जारी कर सकेगी तथा शर्त संख्या– 2 के अनुसार यदि ग्राम पंचायत रियायती दर पर पट्टा देने का निर्णय लेती है तो अतिक्रमियों के पास आवास है या नही, आय आदि के बारे में ग्राम पंचायत की समिति में ग्राम सेवक व पटवारी को (मौका रिपोर्ट लेने वाली समिमि में) शामिल किया जाकर ही नियमानुसार पट्टे जारी करेगी। उक्त आवंटन आदेश की शर्त संख्या– 6 के अनुसार पंचायत आबादी भूमि के भूखण्ड़ों का नक्शा तैयार कर ग्राम सभा से अनुमोदन करवायेगी व राजस्थान पंचायती राज नियमों के तहत भूखण्ड़ पाने की पात्रता रखने वाले व्यक्तियों [illegible] अनुसार भूखण्ड़ का आवंटन कर सकेगी। आवंटन आदेश की शर्त संख्या– [illegible] की पालना में ग्राम पंचायत, जनापुर द्वारा आबादी विस्तार हेतु आवंटित भूमि का प्लान व [illegible] तैयार किया कर उसका ग्राम सभा बैठक दिनांक13.2.2014 में अनुमोदन [illegible] है। ग्राम पंचायत, जनापुर को रियायती दर पर भूखण्ड़ आवंटन हेतु कुल [illegible] व्यक्तियों के आवेदन पत्र प्राप्त हुये थे एवं ग्राम

.....पेज चार पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2021.03.03 10:53:44 IST
Reason: SelfAttested

पंचायत, जनापुर ने जिला कलक्टर, सिरोही के आवंटन आदेश की शर्त संख्या–2 के अनुसार इनके पात्रता की जांच करने हेतु ग्रामसेवक पदेन सचिव, ग्राम पंचायत, जनापुर एवं पटवारी, जनापुर तथा ग्राम पंचायत, जनापुर के 7 वार्ड पंचों की समिति गठित कर रियायती दर पर भूखण्ड़ प्राप्त करने की पात्रता की जांच करवाई थी, जिसमें मौका निरीक्षण कमेटी ने केवल 39 व्यक्तियों (अप्रार्थी संख्या–2 सहित कुल 39 व्यक्ति) को ही रियायती दर पर भूखण्ड प्राप्त करने का पात्र माना है। ग्राम पंचायत, जनापुर को मौका निरीक्षण कमेटी की जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर ग्राम पंचायत, जनापुर ने ग्राम पंचायत, जनापुर की बैठक दिनांक 06.10.2014 में प्रस्ताव संख्या– 4 पारित कर कुल 39 व्यक्तियों (जो रियायती दर पर भूखण्ड पाने की पात्रता रखते थे) को रियायती दर पर भूखण्ड़ कर पट्टे जारी करने का निर्णय लेते हुए ग्राम पंचायत कोष में रियायती दर अनुसार राशि जमा होने के बाद अप्रार्थी संख्या–2 को रियायती दर पर पट्टा जारी कर कब्जा सुपर्द किया है तब से अप्रार्थी संख्या–2 मौके पर काबिज है। यह कि प्रार्थी ने ऐसा कोई दस्तावेज भी प्रस्तुत नही किया है, जिससे यह साबित हो सके कि अप्रार्थी संख्या–2 रियायती दर पर भूखण्ड़ पाने की पात्रता नही रखता हो। यह कि ग्राम पंचायत, जनापुर द्वारा पारित प्रस्ताव संख्या 4 दिनांक 06.10.2014 को आज तक प्रार्थी विकास अधिकारी, पंचायत समिति, पिण्ड़वाडा ने कभी भी चुनौती नही दी है जिसकें अस्तित्व में रहते यह निगरानी आवेदन कानूनन परिपोषणीय नही है। ग्राम सभा की बैठक में कॉरम का अभाव किस प्रकार है, यह प्रार्थी पक्ष ने स्पष्ट नही किया है। ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रस्ताव व पट्टे के विरुद्ध राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 61 के तहत अपील का प्रावधान है और जहां नियमों में अपील के प्रावधान है तो ऐसे मामलों में निगरानी कानूनन प्रस्तुत नही की जा सकती है। अतः प्रार्थी का यह निगरानी आवेदन खारिज किया जावे।

(4). उभय पक्ष की सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया गया तो यह पाया कि ग्राम पंचायत, जनापुर द्वारा पंचायत बैठक दिनांक 06.10.2014 में पारित प्रस्ताव संख्या– 4 के अनुसरण में अप्रार्थी संख्या–2 को राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 158 के अर्न्तगत क्षेत्रफल 900 वर्गफीट का रियायती दर पर आवंटन करते हुए पट्टा संख्या 24912 दिनांक 07.10.2014 को जारी किया गया है। राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 158(1) के अनुसार पंचायत, गांव आबादियों में 300 वर्गगज अर्थात् 2700 वर्गफीट तक कि आबादी भूमि अनुसूचित जातियों, स्वच्छकारों, अनुसूचित जनजातियों, पिछडा वर्ग के सदस्यों को, गांव कारीगरों, श्रम मजदूरी पर आधारित भूमिहीन व्यक्तियों, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम में चयनित परिवारों, विकलांगों, यायावर जनजातियों, गाडियों लुहारों को जिनके पास स्वयं के गृहस्थल/गृह नही है और ऐसे बाढग्रस्तों को भी जिनके गृह बह गये है या गृह स्थल बाढ़ के कारण भावी निवास हेतु अयोग्य हो गये है, को रियायती दरों पर आवंटन कर सकेगी।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि जिला कलक्टर, सिरोही के आदेश क्रमांकःप.12(3)(141)राज/2013/22–27 दिनांक 03.1.2014 के द्वारा ग्राम पंचायत, जनापुर को ग्राम जनापुर के खसरा संख्या 5 रकबा 4 बीघा 13 बिस्वा व खसरा संख्या 668 में रकबा 5 बीघा 18 बिस्वा कुल किता 2 रकबा 10 बीघा 11 बिस्वा भूमि [illegible] विस्तार हेतु आवंटन किया गया। इस आवंटन आदेश की शर्त संख्या–2 के अनुसार अतिक्रमण शुदा कब्जे की भूमि को बाज़ार दर पर राशि जमा कराने पर [illegible]बादी के लिये ग्राम पंचायत विक्रय कर पट्टा जारी करेगी, अन्यथा अतिक्रमी को मौके से बेदखल कर दिया जायेगा। आवंटन आदेश की शर्त संख्या–2 [illegible]सार यदि ग्राम पंचायत रियायती दर पर

......पेज पांच पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2021.03.03 10:53:44 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला [illegible]
सिरोही ([illegible]

सिरोही (राज०)

पट्टा देने का निर्णय लेती है तो अतिक्रमियों के पास आवास है या नही, आय आदि के बारे में ग्राम पंचायत की समिति में ग्रामसेवक व पटवारी (मौका रिपोर्ट वाली समिति में) शामिल किया जाकर ही नियमानुसार पट्टे जारी किये जा सकेंगे। जिला कलक्टर, सिरोही के आवंटन आदेश दिनांक 03.1.2014 की शर्त संख्या–6 के अनुसार पंचायत द्वारा आबादी भूमि के भूखण्डों का नक्शा तैयार कर ग्राम सभा से अनुमोदन कराना होगा। पंचायती राज अधिनियम व उसके अर्न्तगत बने नियमों के अनुसार भूखण्ड पाने की पात्रता रखते है, उन्हें नियमानुसार भूखण्ड आवंटन किये जा सकेगें।

पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत, जनापुर द्वारा आबादी विस्तार हेतु आवंटित भूमि का प्लान तैयार किया जाकर प्लान का ग्राम सभा बैठक दिनांक 13.2.2014 में अनुमोदन कराया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध ग्राम पंचायत, जनापुर की मिसल संख्या 9 दायर दिनांक 06.2.2014 की प्रमाणित प्रतिलिपि के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि अप्रार्थी संख्या– 2 द्वारा ग्राम पंचायत, जनापुर में रियायती दर पर भूखण्ड आवंटन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत, जनापुर द्वारा मिसल दायर की जाकर राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 158 के अर्न्तगत रियायती दर पर भूखण्ड आवंटन के संबंध में पात्रता की जांच ग्राम पंचायत, जनापुर के 7 वार्ड पंचों, ग्रामसेवक पदेन सचिव, ग्राम पंचायत जनापुर एवं पटवारी, जनापुर की समिति गठित कर करवाई गई, जिनकी जांच रिपोर्ट के अनुसार आवेदक (अप्रार्थी संख्या–2) राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 158 के अर्न्तगत रियायती दर पर भूखण्ड प्राप्त करने की पात्रता रखता है एवं इस समिति द्वारा अप्रार्थी संख्या–2 को रियायती दर पर भूखण्ड आवंटन करने की सिफारिश की गई है। ग्राम पंचायत, जनापुर को इस जांच समिति की जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर ग्राम पंचायत द्वारा एक माह की अवधि का आपत्ति नोटिस जारी करने का निर्णय लेते हुए एक माह की अवधि का आपत्ति नोटिस जारी किया गया है एवं ग्राम पंचायत, जनापुर को अन्दर मियाद कोई आपत्ति प्राप्त नही होने पर ग्राम पंचायत, जनापुर द्वारा ग्राम पंचायत की बैठक दिनांक 06.10.2014 में प्रस्ताव संख्या–4 पारित कर कुल 39 व्यक्तियों (अप्रार्थी संख्या–2 सहित कुल 39 व्यक्ति) को रियायती दर पर भूखण्ड आवंटन करने का निर्णय लिया गया है। उसके बाद ग्राम पंचायत, जनापुर में अप्रार्थी संख्या–2 द्वारा रियायती दर अनुसार राशि जमा करवाने पर ग्राम पंचायत, जनापुर द्वारा पट्टा संख्या 24912 दिनांक 07.10.2014 को जारी किया गया है। ग्राम पंचायत, जनापुर द्वारा पारित प्रस्ताव संख्या 4 दिनांक 06.10.2014 के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत, जनापुर को रियायती दर पर भूखण्ड आवंटन हेतु कुल 54 व्यक्तियों के आवेदन पत्र प्राप्त हुये, उनमें से 39 व्यक्तियों को ही उक्त समिति द्वारा रियायती दर पर भूखण्ड आवंटन का पात्र माना है, जिसमें अप्रार्थी संख्या–2 भी सम्मिलित है। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत, जनापुर ने जिला कलक्टर, सिरोही के उक्त आवंटन आदेश की शर्त संख्या–6 के अनुसार आबादी विस्तार हेतु आवंटित भूमि का प्लान तैयार कर ग्रामसभा से अनुमोदन करवाया है एवं आवंटन आदेश की शर्त संख्या–2 के अनुसार पात्रता की जांच हेतु जांच समिति में ग्रामसेवक पदेन सचिव, ग्राम पंचायत, जनापुर व पटवारी जनापुर को शामिल कर पात्रता की जांच करवाई है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2021.03.03 10:58:44 IST
Reason: SelfAttested

पत्रावली पर उपलब्ध उपखण्ड [illegible] पिण्डवाडा की जांच रिपोर्ट के अनुसार रियायती दर पर भू[illegible] व्यक्तियों का अतिक्रमण था, इसका उल्लेख जांच [illegible] नही किया [illegible] है। प्रार्थी विकास अधिकारी, पंचायत समिति, पिण्डवाडा ने निगरानी [illegible] साक्ष्य प्रस्तुत नही की है जिससे यह तथ्य साबित हो सके कि [illegible] संख्या–2 साधन सम्पन्न व्यक्ति हो

.....पेज छः पर

सिरोही (राज.)

अथवा अप्रार्थी संख्या–2 के पास पूर्व से ही स्वयं का आवास गृह या आवासीय भूखण्ड़ उपलब्ध हो। प्रार्थी विकास अधिकारी, पंचायत समिति, पिण्ड़वाडा ने ऐसी भी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही की है जिससे यह साबित हो सके कि राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 158 के तहत अप्रार्थी संख्या–2 रियायती दर पर भूखण्ड़ प्राप्त करने का पात्र व्यक्ति नही हो। ऐसी स्थिति में, उपर्युक्त सभी तथ्यों के विवेचन के अनुसार प्रार्थी का निगरानी आवेदन खारिज किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थी विकास अधिकारी, पंचायत समिति, पिण्ड़वाडा का निगरानी आवेदन खारिज किया जाता है। निर्णय सुनाया गया।

22/1/2021

(गितेश श्री मालवीया)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सिरोही

सिरोही (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2021.03.03 10:53:44 IST
Reason: SelfAttested